



म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं.- 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

पत्र क्र. 335 / ए.डी.बी.-6 / एमपीआरडीसी / 2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 03/08/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल पश्चिम,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अंतर्गत तामिया-जुन्नारदेव मार्ग (राज्य राजमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई-28.31 किमी. के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 8.85 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में (FP/MP/Road/125037/2021)।

संदर्भ:- 1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक-2388 भोपाल दिनांक-07.07.2022।

2. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त का पृष्ठा. क्र./मा.चि./ 3547 छिन्दवाड़ा दिनांक 12/07/2022।

3. आपका पत्र क्र./मा.चि./2022/2105 छिन्दवाड़ा दिनांक 29/07/2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके द्वारा प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा उनके पत्र दिनांक 22/06/2022 द्वारा बिन्दु क्र. 2 एवं 8 की चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार प्रतिवेदित है।

1. बिन्दु क्र. 2 – FRA certificate needs to be uploaded on webportal:-

- इस संबंध में मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संलग्न पत्र दिनांक 26/02/2019 द्वारा जारी निर्देशानुसार In-principle approval के पूर्व एफ.आर.ए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण की औपचारिक स्वीकृति (Final Approval) के पूर्व एफ.आर.ए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। तत्संबंध में अवगत कराना चाहेंगे कि एफ.आर.ए प्रमाण पत्र हेतु इस कार्यालय द्वारा 26/08/2020 को आवेदन कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

2. बिन्दु क्र. 8 –Cost benefit analysis shall be submitted /uploaded on webportal:-

- Cost benefit analysis तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकरण में भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठा. क्र. 336 / ए.डी.बी.-6 / एमपीआरडीसी / 2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 03/08/2022

प्रतिलिपि-

- मुख्य अभियंता (एडीबी-6) म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ

संभागीय प्रबंधक

Cost Benefit Analysis for Tamia – Junardev Road forest diversion case (8.85 ha.)

Table –B Estimation of cost of forest diversion

S.No	Parameters	Remarks
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion.	Area proposed for diversion is 8.85 ha. and the present NPV rate for class-III open forest is Rs. 9,57,780 per ha. Hence the ecosystem services loss will be $8.85 \times 9,57,780 = \text{Rs. } 84,76,353$
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder.	10% of S. No. -1 i.e. Rs. 8,47,635.30
3	Cost of human resettlement.	NIL
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, electric lines, railways etc) on forest land, which if these facilities were diverted due to the project.	NIL
5	Procession value of forest land diverted.	30% of the S.No.-1 Rs. 25,42,905.90
6	Cost of suffering to oustees.	NIL
7	Habitat fragmentation cost	NIL
8	Compensatory Afforestation and soil & moisture conservation cost.	Rs. 47,17,353/-
	Total Cost	1,65,84,247.20

Table –C-Existing guidelines for estimating benefits of forest –diversion in CBA

S.No	Parameters	Remarks
1	Increase in productively attribute to the specific project.	It is estimated that an overall 10% of the project cost will be attributed towards the increase in productivity of the project area through increase in tourism. It would be Rs. 13.3 Cr.
2	Benefit to economy due to the specific project.	This has been considered in monetary value given at S.No.1.
3	No. of population benefited due to specific project.	Entire population i.e. 145145 (Tamia), 22426 (Junardev) souls shall be benefited from the project.
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project.	Approximate 500 man temporary employment will be generated for the construction period of 24 months.
5	Economic benefits due to Compensatory afforestation.	$\text{NPV per Ha.} \times 8.85 / 50 = \text{Rs. } 169527.06$
	Total Benefit	13.4,69,527 Cr. =Rs. 13,46,95,270

Cost benefit ratio = Total Benefit / Total Cost = 13,46,95,270 / 1,65,84,247.20 = 8.12,
Which is greater than one. Hence the project is viable.


Manager
M.P. Road Development Corporation,
Chhindwara (M.P.)


Asst. General Manager
M.P. Road Development Corporation
Chhindwara (M.P.)



Divisional Manager
M.P. Road Dev. Corp. Ltd
Chhindwara (M.P.)



म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपकरण)

कार्यालय - संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं. 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2604SG016758

स. क्र. 1476 / 53 / तामिया-जुन्नारदेव / एमपीआरडीसी / 2020

छिंदवाड़ा, दिनांक 26/08/2020

प्रति,

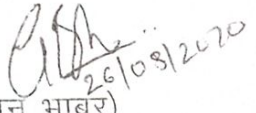
कलेक्टर

जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- एडीबी योजनांतर्गत प्रस्तावित तामिया-जुन्नारदेव मार्ग (लंबाई 28.312 कि.मी.) में छिंदवाड़ा जिले में 8.85 हैक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि में कार्य करने के लिये अनुसूचित जनजाति एवं परम्प्रागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बाबद।

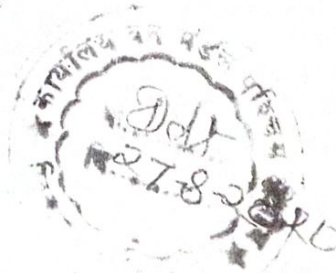
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा तामिया-जुन्नारदेव मार्ग (लंबाई 28.312 कि.मी.) निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें मार्ग के कि.मी. 18.250 से कि.मी. 24.150 का भाग वन क्षेत्र से गुजरता है, जो कि वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। मार्ग उन्नयन हेतु कुल 8.85 हैक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित जनजाति एवं परम्प्रागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

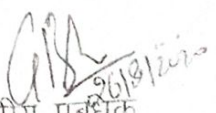
अतः अनुसूचित जनजाति एवं परम्प्रागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध है। जिससे सड़क निर्माण की कार्यवाही समय सीमा में की जा सके।


(गगन भाबर)
संभागीय प्रबंधक
एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा

पृष्ठा. क्र. 1477 / 53 / तामिया-जुन्नारदेव / एमपीआरडीसी / 2020 छिंदवाड़ा, दिनांक 26/08/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (एडीबी-6/7), म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी (पश्चिम), वनमंडल छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Environmental Safeguard Expert, म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण), म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




संभागीय प्रबंधक